

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

कर अपील संख्या - 01/2021

आयुक्त सेंट्रल एक्साइज & सर्विस टैक्स, जमशेदपुर

..... अपीलकर्ता

-बनाम-

मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर, झारखंड

..... प्रतिवादी

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री रंगोन मुखोपाध्याय

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

अपीलकर्ता की ओर से : श्री पी.ए.एस.पति, एडवोकेट

सुश्री रंजना मुखर्जी, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से : श्री समीर चक्रवर्ती, सीनियर एडवोकेट

श्री सलोना मित्तल, एडवोकेट

सी.ए.वी. - 06.07.2023

घोषित - 11/12/2023

न्यायमूर्ति दीपक रोशन : यह तात्कालिक अपील, आबकारी अपील संख्या 1/2011 में विद्वान सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, पूर्वी क्षेत्रीय पीठ, कोलकाता द्वारा पारित दिनांक 28.07.2020 के आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता-राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है; जिसके द्वारा विद्वान केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 29.09.2010 के मूल आदेश (संक्षेप में "ओआईओ") के विरुद्ध प्रतिवादी-करदाता द्वारा प्रस्तुत अपील को यह कहते हुए अपास्त कर दिया गया है कि करदाता के विरुद्ध पुष्टि की गई राशि और लगाया गया जुर्माना कायम नहीं रखा जा सकता है।

2. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी-करदाता, जो विभिन्न प्रकार के शुल्क योग्य लौह एवं इस्पात उत्पादों का निर्माता है, कई शुल्क-भुगतान वाली इनपुट सामग्री का उपयोग करता है और विभिन्न इनपुट सेवाओं का लाभ

उठाता है तथा सेनवैट क्रेडिट नियमों के अनुसार उस पर भुगतान किए गए शुल्क या सेवा कर का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है। चूंकि इनपुट सामग्री और इनपुट सेवाओं पर भुगतान किया गया उक्त शुल्क क्रमशः शुल्क योग्य और छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में या उनके संबंध में उपयोग किया जाता है, इसलिए प्रतिवादी-करदाता को सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।

3. इस स्तर पर, यह बताना प्रासंगिक है कि सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3) को 1 मार्च, 2008 को अधिसूचना संख्या 10/2008-सीई(एनटी) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी है। उक्त अधिसूचना द्वारा नियम-6 में एक नया उप-नियम (3ए) भी डाला गया था, जिसे 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी बनाया गया था। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, माल के निर्माता या आउटपुट सेवाओं के प्रदाता जिन्होंने सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(2) के तहत अलग-अलग खाते नहीं बनाए थे, उन्हें दो विकल्प दिए गए थे। नियम 6(3)(i) के अनुसार निर्माता छूट प्राप्त वस्तुओं के मूल्य के 10% के बराबर राशि का भुगतान कर सकता था। हालांकि, सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3)(ii) के अनुसार माल का निर्माता सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3ए) में निर्दिष्ट शर्तों और प्रक्रिया के अधीन छूट प्राप्त माल के निर्माण में या उसके संबंध में उपयोग किए गए इनपुट और इनपुट सेवाओं के लिए सेनवैट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है।

तथापि, प्रतिस्थापित नियम 6(3) में स्पष्टीकरण-1 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी माल के निर्माता या आउटपुट सेवाओं के प्रदाता ने किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कोई विकल्प (i) या (ii) लिया है, तो ऐसे विकल्प का प्रयोग उसके द्वारा निर्मित सभी छूट प्राप्त वस्तुओं के लिए किया जाना चाहिए तथा इसे उसी वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता है।

4. सेनवैट क्रेडिट नियमों में किए गए उपरोक्त संशोधन के मद्देनजर, 29 मई, 2008 को एक पत्र द्वारा प्रतिवादी-करदाता ने सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3ए) में निर्धारित तरीके से रैंज अधीक्षक को आवश्यक सूचना प्रस्तुत की, जिसमें यह कहा गया कि प्रतिवादी-करदाता ने 01 अप्रैल, 2008 से नियम

6(3)(ii) के तहत विकल्प का प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया है और चूंकि उसने अप्रैल, 2008 के महीने के लिए 10% की दर से पहले ही भुगतान कर दिया है, इसलिए अधिक भुगतान के मामले में प्रतिवादी-करदाता रिफंड आवेदन दायर करेगा जबकि कम भुगतान के मामले में वह बकाया राशि का भुगतान करेगा।

हालांकि, रैंज अधीक्षक ने विवाद उठाया कि चूंकि प्रतिवादी-करदाता ने अप्रैल, 2008 के लिए छूट प्राप्त माल के मूल्य के 10% के बराबर निर्दिष्ट राशि जमा कर दी थी, इसलिए उसने पहले ही चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3)(i) के तहत विकल्प का प्रयोग और लाभ उठा लिया था और इसलिए वह इसे वापस नहीं ले सकता था।

29.09.2009 को, आयुक्त ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी-करदाता ने सितंबर 2008 से मार्च 2009 की अवधि के दौरान 4,35,71,478/- रुपये की राशि के भुगतान से बचने के इरादे से सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3) के प्रावधानों का उल्लंघन किया था, क्योंकि प्रतिवादी-करदाता ने सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3)(i) के अनुसार विकल्प का प्रयोग किया था, बाद में उसी वित्तीय वर्ष के दौरान, उक्त विकल्प को बदल दिया था और सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 3(ए) के साथ नियम 6(3)(ii) के अनुसार विकल्प का पालन किया था, जो सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3) के स्पष्टीकरण-1 के अनुसार स्वीकार्य नहीं था।

तत्पश्चात, प्रतिवादी-करदाता द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2010 को पत्र द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने तथा आयुक्त द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई किए जाने पर, आयुक्त द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी-करदाता द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है।

तत्पश्चात, विद्वान न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी-करदाता द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर लिया और इसलिए, राजस्व द्वारा तत्काल अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलकर्ता-राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री पी.ए.एस.पति ने प्रस्तुत किया कि विद्वान सीईएसटीएटी इस तथ्य को समझने में विफल रहा कि सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6 के उप-नियम 3 के खंड (i) और (ii) तथा उसमें लगाए गए स्पष्टीकरण/शर्तों के अनुसार, प्रतिवादी करदाता को सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6 के उप-नियम 3 के खंड (i) और (ii) में उल्लिखित दो प्रावधानों में से किसी एक को चुनना आवश्यक था तथा उसे उसी वित्तीय वर्ष के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा।

हालांकि, प्रतिवादी-करदाता ने सीसीआर, 2004 के नियम 6 के उप-नियम 3 के खंड (i) का अनुपालन करते हुए अप्रैल, 2008 से अगस्त 2008 तक अपना ईआर-1 रिटर्न दाखिल करके स्व-मूल्यांकन शुरू किया, जिसमें छूट प्राप्त वस्तुओं यानी कोल-टार और सीओ गैस के मूल्य का 10% वापस कर दिया गया था। प्रतिवादी-करदाता ने अगस्त 2008 तक ऐसे भुगतानों को अपनाया जो उनके द्वारा प्रस्तुत ईआर-1 रिटर्न से स्पष्ट है। तदनुसार, सीसीआर के नियम 6 के उपनियम (3) के स्पष्टीकरण-1 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर, यह निहित था कि उन्होंने सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6 के उपनियम 3 के खंड (i) के अनुसार छूट प्राप्त वस्तुओं कोल-टार और सीओ गैस पर 10% यथामूल्य कर को उलटने का विकल्प चुना था, इसलिए, उन्हें वित्तीय वर्ष 2008-09 के शेष भाग के दौरान कोल-टार और सीओ गैस की सभी मंजूरी पर 10% यथामूल्य की दर से राशि का भुगतान करना आवश्यक था।

इस संबंध में किया गया स्पष्ट प्रावधान, "वित्त वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा" इस तथ्य को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। यह एक स्थापित प्रावधान है कि स्पष्टीकरण उस नियम का अभिन्न अंग है और जिस नियम से स्पष्टीकरण संबंधित है उसका लाभ उठाते समय इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पद्मश्री वी.वी. पाटिल एस.एस.के. लिमिटेड के मामले में 2007(215) ईएलटी 23 (बीओएम) में स्पष्ट रूप से माना है कि मुख्य प्रावधान को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण मौजूद है न कि मुख्य प्रावधान को रद्द करने के लिए। इसके अलावा, स्पष्टीकरण में उपरोक्त खंड में "करेगा" शब्द का प्रयोग किया

गया है, जो विकल्प के अभाव को इंगित करता है और इसलिए, यदि कोई निर्माता सेनवैट क्रेडिट नियम के नियम 6 के उप-नियम (3) के उप-खंड (i) के तहत छूट का विकल्प चुनता है और अप्रैल 2008 के बाद तदनुसार राशि का भुगतान करता है, तो 31 मार्च 2009 तक करदाता के लिए ऐसा विकल्प वापस लेना संभव नहीं था, लेकिन बाद में करदाता ने सेनवैट क्रेडिट नियम 2004 के नियम 6 के उप-नियम 3 के खंड (ii) की प्रक्रिया का पालन करने के लिए सीसीआर, 2004 के नियम 6(3ए) के तहत 29.05.08 को सूचना दायर की।

इसका अर्थ यह है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में करदाता ने सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6 के उपनियम 3 के खंड (i) के तहत विकल्प का पालन किया था और बाद में उसी वित्तीय वर्ष में विकल्प बदलने का विकल्प चुना, जिसकी प्रासंगिक कानून के तहत अनुमति नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि विद्वान सीईएसटीएटी इस तथ्य को समझने में विफल रहा है कि करदाता ने आवश्यक डेटा एकत्र करने के बाद नियम 6(3)(ii) का विकल्प दायर किया है, जिसमें समय लगा। विद्वान न्यायाधिकरण ने यह मानने में गलती की है कि सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6(3) में संशोधन अधिसूचना 10/2008-सीई (एन.टी.) दिनांक 01.03.2008 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, लेकिन 01.04.2008 से ही प्रभावी हुआ। इसका मतलब यह है कि करदाता के पास नियम 6(3ए) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए पर्याप्त समय था, क्योंकि इसे तुरंत प्रभावी नहीं बनाया गया था। इसके अलावा, करदाता एक बड़ी कंपनी होने के नाते निर्धारित समय के भीतर नियम 6(3)(ii) के विकल्प का पालन करने के लिए पर्याप्त सुविधा और क्षमता रखता था।

करदाता के इस कृत्य से यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि उसने कानून का सही अर्थों में पालन करने के बजाय अपनी सुविधानुसार काम किया। यह करदाता की ओर से बाद में की गई सोच प्रतीत होती है।

6. करदाता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री समीर चक्रवर्ती ने प्रस्तुत किया कि नियम 6(3) के संशोधित प्रावधान के साथ-साथ सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3ए) 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुए। नियम 6(3ए) में

निर्धारित नई प्रक्रिया के अनुसार किसी भी विकल्प को अपनाने से पहले मूल्यांकन और कार्य-योजना की आवश्यकता थी और चूंकि इसमें कुछ समय लगा, इसलिए करदाता ने सेनवैट क्रेडिट नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन न हो, इसलिए पहले की तरह भुगतान करना जारी रखा, जो कि अप्रैल 2008 के सेनवैट क्रेडिट नियमों के पूर्ववर्ती नियम 6(3)(बी) में प्रावधान के अनुसार छूट प्राप्त वस्तुओं, कोल-टार और सीओ गैस (जिसे आगे "उक्त वस्तुओं" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के मूल्य का 10% था।

श्री चक्रवर्ती ने आगे कहा कि सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3) के तहत नियम 6(3)(ii) के साथ सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3ए) के अनुसार सेनवैट क्रेडिट को वापस लेने में करदाता द्वारा अनुपालन किया गया है और वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान विकल्प वापस न ले पाने का स्पष्टीकरण-1 के तहत दिया गया प्रतिबंध तभी उत्पन्न हो सकता है जब निर्माता ने क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय प्रयोग प्राधिकरण को उचित सूचना देकर ऐसे विकल्प का प्रयोग किया हो।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि तत्काल अपील में शामिल मुद्दे पर विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है:

- I. मर्सिडीज बेंज इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम आयुक्त सीमा शुल्क एवं सीमा शुल्क, 2015 (40) एसटीआर 381(टी),
 - II. एस्टर प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयुक्त सीमा शुल्क एवं सीमा शुल्क, 2016 (43) एसटीआर 411 (टी)
7. इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई के पश्चात् निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधि प्रश्नों पर तत्काल अपील स्वीकार की: -
- I. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में माननीय सीईएसटीएटी, कोलकाता ने दिनांक 29.09.2010 के ओ-आई-ओ संख्या 35/वाणिज्य/10 को रद्द करके प्रतिवादी मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड को उसी वित्तीय वर्ष 2008-2009 में सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6(3)(i) से 6(3)(ii) में विकल्प बदलने की अनुमति देकर कोई गलती नहीं की है, जबकि सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6(3)(i)

में स्पष्टीकरण-1 के बावजूद उसी वित्तीय वर्ष में विकल्प बदलने पर रोक है?

- ii. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में माननीय सीईएसटीएटी, कोलकाता ने मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6(3)(i) के अंतर्गत विकल्प के प्रयोग पर विचार न करके कोई गलती नहीं की है, क्योंकि उन्होंने सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6(3)(i) के अंतर्गत परिकल्पित छूट प्राप्त वस्तुओं के मूल्य का 10% उलट कर अप्रैल 2008 से अगस्त 2008 के दौरान वैधानिक रिटर्न ईआर-1 में अपनी कर देयता का स्व-मूल्यांकन किया है?

8. इस अपील में शामिल प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए, वर्तमान अवधि के दौरान लागू सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम-6(3) को उद्धृत करना समीचीन है, जो इस प्रकार है:-

“(3) उपनियम (1) और (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, माल का निर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता, अलग-अलग खाते न रखने का विकल्प चुनते हुए, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का पालन करेगा, जैसा कि उसके लिए लागू हो, अर्थात्:

- i. माल के निर्माता को छूट प्राप्त माल के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करना होगा और आउटपुट सेवा प्रदाता को छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के आठ प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करना होगा; या
- ii. माल का निर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता उप-नियम (3ए) में निर्दिष्ट शर्तों और प्रक्रिया के अधीन छूट प्राप्त वस्तुओं के विनिर्माण में या उसके संबंध में उपयोग किए गए इनपुट और इनपुट सेवाओं के लिए या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए सेनवैट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

स्पष्टीकरण 1. यदि माल का निर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता इस उपनियम के तहत किसी भी विकल्प का लाभ

उठाता है, तो वह अपने द्वारा निर्मित सभी छूट प्राप्त वस्तुओं या, जैसा भी मामला हो, उसके द्वारा प्रदान की गई सभी छूट प्राप्त सेवाओं के लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग करेगा, और वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान ऐसा विकल्प वापस नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण II. संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त वस्तुओं के विनिर्माण या छूट प्राप्त सेवा के प्रावधान के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले इनपुट और इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

“(3ए) उप-नियम (3) के खंड (ii) के अंतर्गत देय राशि के निर्धारण और भुगतान के लिए, माल के निर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता को निम्नलिखित प्रक्रिया और शर्तों का पालन करना होगा, अर्थात्: -

(क) इस विकल्प का प्रयोग करते समय, माल का निर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को लिखित रूप में निम्नलिखित विवरण देगा, अर्थात्:-

- i) माल के निर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता का नाम, पता और पंजीकरण संख्या;
- ii) वह तिथि जिससे इस खंड के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है;
- iii) शुल्क योग्य वस्तुओं या कर योग्य सेवाओं का विवरण;
- iv) छूट प्राप्त वस्तुओं या छूट प्राप्त सेवाओं का विवरण;
- v) इस शर्त के तहत विकल्प का प्रयोग करने की तिथि तक शेष राशि में पड़े इनपुट और इनपुट सेवाओं का सेनवैट क्रेडिट।

9. प्रतिद्वंद्वी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए आधारों और सेनवैट क्रेडिट नियमों के संशोधित प्रावधानों पर विचार करने के पश्चात, ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान विकल्प वापस न ले पाने का स्पष्टीकरण-1 के

अंतर्गत दिया गया प्रतिबंध तभी लागू हो सकता है, जब निर्माता ने क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण को उचित सूचना देकर ऐसे विकल्प का प्रयोग किया हो। यह सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3ए)(ए) से ही स्पष्ट है, क्योंकि इस प्रावधान में विशेष रूप से यह अपेक्षित है कि सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3)(ii) के अनुसार भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करते समय निर्माता को नियम 6(3ए) के उक्त उप-खंड (ए) में दिए गए विवरण रेंज अधीक्षक को लिखित रूप में उपलब्ध कराने/सूचित करने होंगे। सेनवैट क्रेडिट नियम के नियम 6(3ए) के उप-खंड (ए) में विस्तृत विवरण में उस तारीख की सूचना शामिल है, जिससे विकल्प का प्रयोग किया जा रहा है या प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है।

वास्तव में, सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3ए)(ए)(ii) के तहत आवश्यकता स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि एक निर्माता रेंज अधीक्षक को सूचना देने पर वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3)(ii) के तहत विकल्प चुन सकता है। एक बार जब निर्माता द्वारा ऐसा विकल्प चुना जाता है, तो नियम 6(3) के "स्पष्टीकरण-1" में दिए गए प्रतिबंध लागू हो जाएंगे और निर्माता "वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान" ऐसे विकल्प से पीछे नहीं हट सकता है। यह प्रावधान यह भी इंगित करता है कि विकल्प का प्रयोग वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन एक बार चुने जाने के बाद उक्त वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता है।

10. यद्यपि सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3)(i) के अनुसार विकल्प के प्रयोग के संबंध में रेंज अधीक्षक या अन्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को सूचित करने के संबंध में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, फिर भी सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3) और 6(3ए) के प्रासंगिक प्रावधानों का सामंजस्यपूर्ण निर्माण यह स्पष्ट करता है कि नियम 6(3)(i) के अनुसार विकल्प के प्रयोग के बारे में क्षेत्राधिकार प्राप्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण को भी विशेष रूप से सूचित किया जाना चाहिए और इसके अभाव में यह नहीं माना जा सकता है कि निर्माता ने सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3)(i) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने का विकल्प चुना है।

मई 2008 से जून 2008 की अवधि के दौरान रेंज अधीक्षक के साथ करदाता के अभिलेख पर मौजूद पत्राचार से स्पष्ट रूप से यह स्थापित होता है कि करदाता ने मई 2008 से पहले 2008-09 की अवधि के दौरान कभी भी सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3)(i) के तहत विकल्प का प्रयोग नहीं किया था।

11. हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि आयुक्त ने यह मानने में गलती की है कि यह रिकॉर्ड में है कि करदाता ने तत्काल मामले में सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3)(i) के तहत विकल्प का प्रयोग किया था। कारण बताओ नोटिस या ओआईओ में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो करदाता द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग करने का सबूत देता हो।

इसके अलावा, विकल्प का प्रयोग करना एक सकारात्मक कार्य है और इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जैसा कि आयुक्त द्वारा किया जाना चाहा गया है।

12. उपर्युक्त चर्चाओं और उपर्युक्त प्रावधानों के मद्देनजर, विद्वान न्यायाधिकरण ने कोई त्रुटि नहीं की है और सही ढंग से करदाता की अपील को स्वीकार किया है और मूल आदेश को रद्द कर दिया है।

परिणामस्वरूप, तत्काल अपील में तैयार किए गए कानून के प्रश्न राजस्व के खिलाफ तय किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, तत्काल अपील खारिज हो जाती है। लंबित I.A., यदि कोई हो, भी बंद हो जाता है।

(न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय)

(न्यायमूर्ति दीपक रोशन)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
फहीम/एएफआर

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।